न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 24/2022 दायर दिनाँक 21.01.2022

वादी

1. हरजी राम पुत्र हणुताराम उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी डसाणा खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर।
2. तहसीलदार डीडवाना।
3. मुख्य प्रबन्धक स्टेट बैंक इण्डिया शाखा डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **11.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद डसाणा खुर्द पटवार क्षेत्र खोजास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेगसर के खेत खसरा सं0 666 रकबा 0.7900 हैक्ट0 किस्म बारानी चाही तृतीय, खसरा सं0 619 रकबा 0.220 हैक्टे0 किस्म बारानी चाही तृतीय, खसरा सं0 667 रकबा 0.7800 हैक्टे0 किस्म बारानी चाही तृतीय, खसरा सं0 564 रकबा 0.7900 हैक्टे0 किस्म बारानी चाही तृतीय, खसरा सं0 675 रकबा 0.1400 हैक्टे0 किस्म बारानी चाही तृतीय वादी की रिकॉडेड काबिज खातेदार में चली आ रही है।

यह है कि वादी की कृषी भूमि खसरा सं0 675 रकबा 0.1400 हैक्टे0 में से खसरा सं0 676 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन रास्ता कायम हुआ है इसी प्रकार खसरा सं0 619 रकबा 0.2200 हैक्टे0 में से खसरा सं0 620 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन रास्ता कायम हुआ है।

यह है कि कृषी भूमि खसरा सं0 666 व 675 के मध्य गैर मुमकिन रास्ता 640 रकबा 0.7900 हैक्टे0 रिकॉर्ड में कायम है परन्तु उक्त रास्ता का उपयोग एवं उपभोग लगभग 40–50 वर्षो से नही रहा है इस रास्ता की भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा है, कालान्तर में उक्त रास्ता के बजाया खातेदारो ने अपनी सुविधा के अनुसार खसरा सं0 676 गैर मुमकिन रास्ता का ही उपयोग व उपभोग होने के कारण वादी की भूमि खसरा सं0 675 में से खसरा सं0 676 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन रास्ता कायम हुआ इस प्रकार वादी की कृषी भूमि खसरा सं0 619 में से खसरा सं0 620 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकिन रास्ता कायम हुआ इसी प्रकार गैर मुमकिन रास्ता खसरा सं0 640 व 617 का उपयोग व उपभाग नही होने से वर्तमान में उक्त रास्ते के कोई चिन्ह इत्यादि नही होने से उक्त दोनो गैर मुमकिन रास्ता का आवागमन चालु नही रहा है वादी की कृषी भूमि खसरा सं0 675जिसके पुराने खसरा सं0 179 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा अर्थात 0.8184 हैक्टे0 में से खसरा सं0 675 रास्ता जिसका रकबा 0.0600 हैक्टे0 कायम हो गया इसी कारण खसरा सं0 640 गैर मुमकिन रास्ते की स्थिति सन् 1960–61 को ट्रेस नक्शा में प्रदर्शित है उक्त की खसरा वार की स्थिति बहाल किये जाने की उदघोषणा किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर गैर मुमकिन रास्ता खसरा सं0 640 पूर्व स्थिति सन् 1960–61 ट्रेस नक्शा के अनुसार बहाल किया जाकर इसी अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नई पासबुक खतौनी व नया ट्रेस नक्शा जारी किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 3 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

1. रिर्पोट के पैरा सं0 02 में वर्णितानुसार पूर्व में मार्क A to B रास्ता दर्ज रहा है। बिन्दु संख्या "A" सड़क से Touch नही है।
2. रिर्पोट के पैरा सं0 1 में वर्णितानुसार मार्क A सड़क से Touch हो रहा है। मार्क C To D को मार्क G, H पर काश्तकार के द्वारा परिवर्तित कर रखा है।
3. रिर्पोट के पैरा सं0 03 में वर्णितानुसार वर्तमान में मौके पर मार्क A, B, C, D रास्ता चल रहा है।
4. रिर्पोटानुसार ख0स0 640 गै0मु0 रास्ता की भूमि को खसरा सं0 666 व 675 में तथा खसरा सं0 617 गै0मु0 रास्ता की भूमि को खसरा सं0 619 में शामिल किया गया है। ख0स0 620 में मौके पर रास्ता चालू है।
5. पैरा सं0 02 के मार्क A to B तरमीम कराना मुख्य रिलिफ है।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सरहद डसाणाखुर्द, पटवार मण्डल खोजास तहसील डीडवाना के खसरा सं0 666 तथा खसरा सं0 675 के मध्य नक्शा ट्रेस में दर्ज रास्ता खसरा सं0 640 के वर्तमान तरमीम को भू–प्रबन्धक कार्यवाही से पूर्व अर्थात् 1960–61 की स्थिति के अनुसार तरमीम करवाने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। खसरा सं0 666 व 675 वादी की खातेदारी व स्वामित्व के है तथा खसरा सं0 640 राज्य सरकार के स्वामित्व का है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार खसरा सं0 666 का पूर्व खसरा सं0 146 व खसरा सं0 675 का पूर्व खसरा सं0 179 एवं खसरा सं0 640 का पूर्व खसरा स0 185 थे। हस्तगत वाद में उक्त खसरान् के रकबा को लेकर विवाद नही है। खसरा सं0 640 का नक्शा ट्रेस में वर्तमान तरमीम स्थिति को दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्मक रिर्पोट तलब की गई। तहसीलदार डीडवाना ने पत्र क्रमांक रीडर/2023/100 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा तथ्यात्मक रिर्पोट पेश की। रिर्पोट के साथ पेश नजरी नक्शा के बिन्दु सं0 1 में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड का अंकन किया है। बिन्दु सं0 2 में भू–प्रबन्धक कार्यवाही से पूर्व की स्थिति दर्शायी गई है। उपलब्ध राजस्व अभिलेख व तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिर्पोट से खसरा सं0 640 का नक्शा में तरमीम स्थिति को भू–प्रबन्धक कार्यवाही के दौरान परिवर्तित किया गया है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान किया गया यह परिवर्तन कानून सम्मत नही है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के वक्त हुई इस त्रुटि को सुधार करना न्यायोचित व कानून सम्मत है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के परिपेक्ष्य में वादी का वाद स्वीकार योग्य है तदनुसार दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा डसाणा खुर्द तहसील डीडवाना के खसरा सं0 666 व 675 के मध्य नक्शा में दर्ज रास्ता खसरा सं0 640 के वर्तमान अंकन के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट पत्र क्रमांक 100 दिनांक 02.02.2023 के साथ पेश नजरी नक्शा के बिन्दु सं0 02 में वर्णित मार्क A to B (अर्थात भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व स्थितिनुसार) के अनुसार नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खसरा सं0 666, 675, 640 रकबा अपरिवर्तित रहेगा।

तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट क्रमांक 100 दिनांक 02.02.2023 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 11.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना